

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2016—वैशाख 23, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ-24-3-2015-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री सी. पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 17 अगस्त 2015 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 24-3-2015-एक-10, दिनांक 17 अगस्त 2015 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका 5 में, शब्द “तीन मास के भीतर” के स्थान पर, शब्द “30 जून 2016 तक” स्थापित किये जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.